प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार के साथ चैम्बर प्रांगण में आयोजित बैठक में समर्पित ज्ञापन

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के कार्यनीति की कंडिका (ix) के द्वारा राज्य सरकार ने अन्य कुछ उद्योगों के साथ निम्नलिखित उद्योगों को भी थ्रस्ट एरिया में रखा है ।

- पर्यटन संबंधी उद्योग
- सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
- उच्च / तकनीकी अध्ययन संस्थान
- इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर उद्योग
- वस्त्र उद्योग
- उर्जा / गैर–पारम्पिरिक उर्जा

इसी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की कंडिका 6 में यह संकल्प लिया गया है कि चिन्हित् थ्रस्ट एरिया के उद्योगों के लिए इस औद्योगिक नीति में वर्णित प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा अलग से प्रोत्साहन नीति निर्गत किया जाएगा ।

यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि थ्रस्ट एरिया में वैसे ही औद्योगिक प्रक्षेत्र चिन्हित् किये जाते हैं जिनमें राज्य के Core Competence Industrial Sector बनने की क्षमता हो लेकिन आज तक उपरोक्त थ्रस्ट एरिया के औद्योगिक प्रक्षेत्रों के लिए पृथक प्रोत्साहन नीतियों की घोषणा नहीं हो पाई है । अतः प्रधान सचिव महोदय उद्योग विभाग से हमारा अनुरोध है कि इस विषय को प्रथमिकता के आधार पर लेते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें ।

2. ऐसा अनुभव किया गया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, 2011 के अन्तर्गत बियाडा कानून एवं नियम, खाद्य प्रसंस्करण नीति, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचनायें, वैट एक्ट से संबंधित अधिसूचनाएं, श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं आदि जैसे एक्ट,पॉलिसी एवं अधिसूचनाओं की व्याख्या में कई बार काफी गलतफहमियाँ होती हैं । विभाग के पदाधिकारियों एवं उद्यमियों के बीच एक राय नहीं बन पाती है जिससे कि राज्य के औद्योगिक विकास में अनिश्चितता बढ़ती है । इस मत भिन्नता के निवारण हेतु एक राज्यस्तरीय Clarification Committee बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार और उद्योग एवं व्यवसाय का समान रूप से प्रतिनिधित्व रहे तथा उक्त कमिटी का निर्णय सर्वमान्य हो । इस सन्दर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष निवेदन किया था, उन्होंने ने भी इस तरह की Clarification Committee का गठन कराने का कृपापूर्ण आश्वासन दिया है । अतः अनुरोध है कि इस दिशा में आप अपने स्तर से भी पहल कराने की कृपा करें ।

3. **समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना**

उद्योगों के विकास के लिये विद्युत की निर्वाध आपूर्ति नितान्त आवश्यक है । सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है । हमारा आपसे निवेदन है कि उद्योग हेतु बिजली की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा करें । कमी से निपटने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को Open Access Scheme के अन्तर्गत Power Corporation से विद्युत क्रय करना चाहिए ।

4. राज्य की उर्जा की मांग 3000 MW आंकी गई है । केन्द्रीय प्रक्षेत्र से राज्य को अधिकतम लगभग 1800 MW विद्युत का आवंटन किया गया है परन्तु औसतन 1000 मेगावाट कम बिजली ही उपलब्ध हो पाती है ऐसी परिस्थिति में विद्युत बोर्ड द्वारा 3500 MW पर MMG Charge किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

क्रमशः.............2

5. **पर्यटन उद्योग के अन्तर्गत होटलों को MMG/AMG से छूट**

बिहार सरकार ने सभी प्रकार के होटलों को पर्यटन उद्योग में सम्मिलित किया है तथा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है और तदनुरूप औद्योगिक नीति 2006 के अन्तर्गत मिलनेवाले सभी प्रोत्साहनों के लिए उन्हें भी प्रोत्साहन का पात्र बनाया है । परन्तु दुर्भाग्यवश होटल उद्योग को विद्युत बोर्ड द्वारा MMG/AMG से अब तक छूट प्राप्त नहीं हो रही है । इस संबंध में चैम्बर ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपरोक्त छूट देने का आग्रह किया था परन्तु बोर्ड के वित्तीय नियंत्रक –I ने अपने पत्र संख्या 1007 दिनांक 25-4-2011 द्वारा चैम्बर को यह सलाह दी गई कि इस संबंध में उद्योग विभाग से सम्पुष्टि पत्र उपलब्ध कराया जाए । अत: हमारा निवेदन है कि उद्योग विभाग इस संबंध में विद्युत बोर्ड को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें ।

6. **बियाडा से संबंधित मुद्दे**

(क) बियाडा द्वारा लीज डीड का एक नया प्रारूप बनाकर उसे सुझाव हेतु परिचालित किया गया था उस पर चैम्बर ने विभिन्न राज्यों में लागू लीज डीड मंगाई और बियाडा के प्रारूप के साथ उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बियाडा के लीज डीड के प्रारूप में विसंगतियॉ थी । तदुपरान्त चैम्बर ने बियाडा लीज डीड प्रारूप पर अपने सुझावों के साथ एक विस्तृत प्रतिवेदन बनाकर विभाग को समर्पित किया है । अत: अनुरोध है कि हमारे उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा की जाए ।

(ख) अन्य राज्यों की तरह ही एक समय सीमा के बाद लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाए ।

7. माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित मंत्री द्वारा गत वर्षों में उद्योग से संबंधित की गई बजटीय घोषणाओं को लागू कराया जाना चाहिए । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें निम्न हैं :–

(क) उद्योग हेतु कच्चे माल की खरीद पर प्रवेश कर समाप्त करना ।

(ख) उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी की खरीद पर से प्रवेश कर को समाप्त करना इत्यादि ।

8. **सामग्री–खरीद अधिमानता नीति में आवश्यक सुधार किया जाना**

राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 लागू की । लेकिन नीति में निहित विसंगतियों के कारण राज्य की इकाईयॉ इसका लाभ नहीं उठा पायी । राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम – 131 में कुछ संशोधन किया है । मगर इसका भी लाभ राज्य के औद्योगिक इकाईयों को नहीं मिल पा रहा है । राज्य की स्थानीय इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर एक व्यवहारिक खरीद अधिमानता नीति बनायी जाय तथा नीति को सरकार की नीति मान कर सरकार के सभी विभाग अपनी खरीददारी में पारदर्शिता रखते हुए इस नीति का अनुपालन करें । हम चाहेंगे कि बजट घोषणा के अनुरूप सामग्री खरीद अधिमानता नीति (Store Purchase Preference Policy) की सरकार नये सिरे से समीक्षा करे । अत: आग्रह है कि समीक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा की जाए जिससे कि इस नीति में आवश्यक सुधार जल्द से जल्द किया जा सके ।

क्रमश:.............3

9. <u>उद्योग के उपयोग हेतु भूमि बैंक के गठन का अनुरोध</u>

बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । थर्मल पावर प्लान्ट इत्यादि जैसी इकाईयों की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े भू–भाग की आवश्यकता है, इसके साथ ही अन्य उद्योगों के लिए भी ऐसे बड़े भू–भाग की आवश्यकता होने पर प्रबन्ध करना होगा । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

– भूमि बैकों की स्थापना द्वारा ।
– ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया एवं स्टेटस की स्थापना द्वारा ।
– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।
– निजी औद्योगिक प्रांगणों को प्रमोट करने हेतु नीति बनायी जाए, औद्योगिक उपयोग के प्रयोजनार्थ सरकार भूमि को चिन्हित कर औद्योगिक विकास के लिए अधिसूचित करे ताकि भूस्वामी उक्त जमीन का उपयोग स्वयं के उद्योग के लिए अथवा किसी प्रमोटर के हाथ औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु बिक्रय कर सकें ।

इसी सन्दर्भ में वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में **''आओ बिहार योजना''** की घोषणा की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नई औद्योगिक इकाईयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था ।

भू–अर्जन एवं सरकारी जमीन उपलब्ध कराने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य के निवासियों को सूचित किया जाना है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह दो एकड़ या उससे अधिक के स्वामी हैं तथा अपनी जमीन उद्योग एवं संस्थान हेतु बेचना चाहते हैं तो वे अपने जिले के जिलाधिकारी के यहॉ संबंधित जमीन के ब्योरे के साथ सूचीबद्ध करा सकते हैं । इसके पश्चात सरकार विज्ञापन के माध्यम से सभी संभावित निवेशकों को सूचित करेगी कि राज्य के विभिन्न जगहों में भूमि बिक्रय हेतु उपलब्ध है । यदि वे इच्छुक हों तो संबंधित भूधारी से सम्पर्क कर सकते हैं । ऐसी जमीन पर निवेश किये जाने पर औद्योगिक नीति के प्रोत्साहनों का लाभ मिलेगा । सरकार ने बियाडा को इस योजना हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया है इसे मूर्त्त रूप से कार्यान्वित कराया जाना चाहिए ।

10. हल्दिया – जगदीशपुर गैस पाईप लाइन में बिहार को गैस में हिस्सेदारी तथा पर्याप्त आवंटन हेतु प्रयास एवं एम.ओ.यू. किया जाय ।

11. <u>उद्योगों के खिलाफ **FIR** दाखिल करने के दुरूपयोग के सम्बन्ध में ।</u>

ऐसा अनुभव किया गया है कि किसी कारखाने/औद्योगिक इकाई के बाहर, इकाई से 10 - 5 किलोमीटर दूर, कोई अप्रिय घटना उस इकाई से संबंधित किसी कामगार, ड्राईवर–खलासी, आपूर्तिकर्ता इत्यादि के साथ घटित होती है तो संबंधित स्थानीय थाना द्वारा ऐसी घटनाओं में येन–केन–प्रकरेण औद्योगिक इकाई के नाम को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जिससे संबंधित इकाई बुरी तरह से परेशान होती है। अत: हमारा सुझाव है कि इस प्रकार की मनमानी पर रोक लगाने हेतु कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे खान (Mines) में कोई घटना घटित होने पर डायरेक्टर माइन्स सेफटी के Report

क्रमश:.............4

के बाद ही FIR पर कारवाई होती है, उसी तरह से फैक्ट्री के अन्दर घटना घटित होने पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर के Report के बाद FIR पर कारवाई हो तथा फैक्ट्री के बाहर घटना घटित होने पर, DSP के Supervision Report पर Superintendent of Police के Report II होने के बाद ही FIR पर कारवाई हो।

12. नये उद्योग लगाने के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पषर्द द्वारा Project अनुमोदित होने के बाद भी उद्यमियों को विभिन्न विभागों का Clearance लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । हमारा सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि SIPB Approved Projects को Single Window पर सभी विभागों का Clearance प्राप्त हो जाये ।

13. उद्योगों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत देय प्रोत्साहन/प्रतिपूर्ति राशि संबंधित उद्योगों को ऑन लाइन Credit करने की व्यवस्था की जानी चाहिए । साथ ही इसके लिए Right to Service Act के अन्तर्गत एक समय सीमा भी निर्धारित की जा सकती है ।

14. बिहार में Pre Stressed/Cast Concrete Pole (PSC/PCC Pole) बनाने की लगभग 40 फैक्ट्रीयॉ कार्यरत है लेकिन विद्युतीकरण का Contract बड़ी कम्पनियों को Turn Key basis पर दिया जाता है, जिनके द्वारा ही PSC/PCC Poles का क्रय किया जाता है । बिहार में PSC Pole की खरीद पर 13.5% टैक्स लगता है जबकि बिहार के बाहर से इसे मंगाने पर केवल 2% CST की कर देयता बनती है । इस प्रकार से बिहार में विनिर्मित PSC Pole बाहर की तुलना में 11.5% अधिक महंगा हो जाता है । इसके कारण PSC Pole के निर्माण में लगी इकाईयॉ बूरी तरह से प्रभावित हो रही है ।

सरकार की घोषणा रही है कि बिहार की वैट दरों को पड़ोसी राज्यों मुख्यत: पश्चिम बंगाल के समान रखा जाए । PSC Pole पर बिहार में 13.5% वैट लगता है जबकि पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड आदि में इस पर वैट की दर 5% है । अत: अनुरोध है कि PSC Pole पर वैट को 13.5% के बदले 5% किया जाए जिससे कि ऐसे औद्योगिक इकाईयों को कुप्रभाव से बचाया जा सके ।

15. **<u>बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कारपोरेशन द्वारा AMG/MMG पुन: चार्ज करने के संबंध में</u>**

महोदय, सचिव, बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 07-01-2013 के द्वारा सभी सभी Field Officers को निर्देश दिया है कि AMG/MMG Charge करना प्रारम्भ करें, साथ ही उस पर DPS भी लगाएं क्योंकि बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कॉरपोरेशन को सरकार से इस मद में पैसा प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार का आदेश औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के एकदम खिलाफ जाता है ।

इस सन्दर्भ में हमारा अनुरोध है कि सरकार हर साल विद्युत बोर्ड को 2700 करोड़ दे रही है, अत: उसी पैसे में से AMG/MMG के पैसे का सामंजस्य करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि व्यवसायियों को परेशानी न हो ।

16. **<u>रूग्न इकाईयों का पुनर्वास :</u>**

सरकार ने औद्योगिक रूग्नता को औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अंग मानते हुए रूग्न इकाईयों के पुनर्वास के लिए औद्योगिक नीति में प्रावधान किया है । औद्योगिक नीति में मात्र यह उल्लेख किया

क्रमश:.............5

गया है कि रूग्नता की पहचान एक समय सीमा के अन्दर कर निर्धारित अवधि में पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाएगा ।

रूग्नता की पहचान की समय सीमा क्या होगी, पुनर्वास पैकेज निर्धारण की अवधि क्या होगी तथा पुनर्वास पैकेज की न्यूनतम या अधिकतम दिये जानेवाली प्रोत्साहन सुविधा क्या होगी, इसको परिभाषित नहीं किया गया है ।

अत: आवश्यक है कि उपरोक्त बिन्दु को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए ।

17. कैपटिव पावर जेनरेशन/डीजल जेनरेटिंग सेट की स्थापना पर मिलने वाले पूँजी अनुदान (Capital Subsidy) में विभाग द्वारा Connected Load के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान एवं प्रोत्साहन राशि के निर्धारण में केवल बेस मूल्य को ही गणना लिया जाना :–

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति – 2006 की कंडिका– 2 (iv) में नई औद्योगिक इकाईयों को ''कैपटिव पावर जेनरेशन / डीजल जेनरेटिंग सेट'' पर किये गये पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान का प्रावधान किया गया है । नीति की कंडिका– 2(iv) निम्नवत है :–

''कैपटिव पावर जेनरेशन / डीजल जेनरेटिंग सेट के स्थापना में प्लांट एवं मशीनरी पर हुए व्यय की राशि का पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) उद्योग को अनुदान देय होगा । इसके लिए अधिसीमा निर्धारित नहीं की गई है । यह सुविधा इकाई के उत्पादन में आने के बाद देय होगी ।''

उपरोक्त प्रोत्साहन अनुदान को उपलब्ध कराने के लिए उद्योग विभाग द्वारा जो संकल्प निर्गत किया गया है उसके कंडिका– 2(i) (क) के अनुसार :–

'' यह अनुदान राज्य के सभी वृहत, मध्यम एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को कैपटिव पावर प्लांट / जेनरेटिंग सेट की स्थापना में प्लांट एवं मशीनरी के क्रय पर हुए व्यय की राशि का पचास प्रतिशत (50 प्रतिशत) अनुदान के रूप में देय होगा ।''

संकल्प की कंडिका– 3 के अनुसार :–

''किसी इकाई को कितनी क्षमता के कैपटिव पावर प्लांट/डीजल जेनरेटिंग सेट्स की आवश्यकता होगी इसका निर्धारण बिहार राज्य विद्युत पर्षद करेगा । कैपटिव पावर प्लांट / डीजल जेनरेटिंग सेट्स स्थापना के लिए मात्र बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । इकाईयॉ डीजल जेनरेटिंग सेट / कैपटिव पावर प्लांट स्थापित करने के संबंध में एक लिखित अनुरोध पत्र विद्युत बोर्ड को देंगे ।''

विभाग के उपरोक्त संकल्प में स्पष्ट रूप से प्रावधान होने तथा इसके विद्युत बोर्ड द्वारा क्षमता निर्धारण से संबंधित प्रमाण–पत्र देने के बाद भी औद्योगिक इकाईयों को उनके सम्पर्क क्षमता (Connected Load) के बराबर की अनुपातिक राशि दी जा रही है ।

हम यहॉ यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी जेनरेटर अपने क्षमता (Load) के बराबर विद्युत का उत्पादन नहीं करता है । सामान्यत: डी.जी. सेट के कुल क्षमता का 80 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग किया जाता है । अत: इकाई के लिए यह बाध्यता है कि वह अपने स्वीकृत पावर लोड से अधिक क्षमता का सयंत्र की स्थापना करे जिसका निर्धारण बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाता है ।

यदि 100 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट है तो उससे उपयोग हेतु 80 के.वी.ए. विद्युत उत्पादित होगी । अत: कुल के.वी.ए. सम्पर्क क्षमता (connected load) से 50% अतिरिक्त के.वी.ए. क्षमता के डी.जी. सेट पर अनुदान दिया जाना चाहिये । क्योंकि पूर्व में जब डी.जी. सेट लगाने हेतु विद्युत बोर्ड से अनुमति लेने का प्रावधान था तब विद्युत बोर्ड सम्पर्क क्षमता (connected load) से 50% से अधिक के डी.जी. सेट लगाने का अनुमति देता था ।

पुन: प्रोत्साहन अनुदान की राशि की गणना केवल जेनरेटर के बेस मूल्य (Base Cost) पर की जा रही है । जबकि जेनरेटर के खरीद में ढुलाई खर्च (Freight) तथा अन्य कर (Taxes) जैसे केन्द्रीय उत्पाद एवं वैट आदि भी सम्मिलित होता है ।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि आपके स्तर से इस बिन्दु पर सम्बन्धित विभाग / पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया जाए ।

18. आधुनिक प्रयोगशाला :– फूड प्रोसेसिंग गुणवत्ता वाली आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाए जहॉ प्रोसेसर द्वारा उचित कीमत पर अपने उत्पाद के सभी सूक्ष्म तत्वों की जॉच करा सकें ।

****

पटना

दिनांक : 24 जनवरी 2013